इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2013—फाल्गुन 2, शक 1934

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. एफ-3-03-2011-साठ.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 29 जनवरी 2013 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ''पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012'' में संशोधन अनुमोदित किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट (घ)

विषय:— प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ''पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012'' में संशोधन.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ''पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012'' घोषित की है. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 44 दिनांक 30-1-2012 को किया गया है.

''**पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012**'' में निम्नानुसार संशोधन किया जा कर नीति में प्रतिस्थापित किया जाता है:—

1. कण्डिका-1.2. प्रतिभागिता के प्रावधान के अंश ''संयुक्त उपक्रम के आवेदन मान्य नहीं होंगे'' को विलोपित किया जाता है.

2. कण्डिका 2, परियोजना आवंटन प्रक्रिया प्रावधान के अंश ''विभाग द्वारा परियोजना आवंटन हेतु वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में एक बार या कम से कम चार बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. '' . . . . . ''. के स्थान पर ''विभाग द्वारा परियोजना आवंटन हेतु समय-समय पर, वर्ष में सामान्यत: 2 बार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे'', प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. कण्डिका 3.1.2 में " LOA जारी होने के 7 दिवस के अन्दर विकासक अपना सहमति देगा . . . . . ", के स्थान पर "LOA जारी होने के 30 दिवस के अन्दर विकासक अपनी सहमति देगा.", संशोधन किया जाता है.

4. कण्डिका 3.1.3 में "प्रथम चरण की निष्पादन गारंटी LOA जारी होने के 30 दिवस के अन्दर . . . . . ", के स्थान पर "प्रथम चरण की निष्पादन गारंटी LOA जारी होने के 60 दिवस के अन्दर, ". . . . . ", संशोधन किया जाता है.

5. नीति में कण्डिका 3.1.3 (a) का समावेश करते हुए प्रावधान किया जाता है, कि—"कण्डिका 3.1.2 एवं कण्डिका 3.1.3 में प्रावधानित समय-सीमा में परिस्थितिवश परिवर्तन की आवश्यकता पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी."

6. नीति में खण्ड-ब, सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत निम्न प्रावधान सम्मिलित किया जाता है:—

कण्डिका-15. अगर इकाई द्वारा परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय की जाती है, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता होगी और अगर वह इस भूमि पर परियोजना स्थापित नहीं करती, तो दी गई छूट वापस ली जायेगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.